(4) 9 3025 16/08/17

झारखण्ड सरकार
उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग।

संकल्प

विषयः झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार संगठन में आंशिक संशोधन के सम्बन्ध में।

झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार का गठन संकल्प ज्ञापांक--1638 दिनांक 16.05.2016 द्वारा किया जा चुका है। इसे प्रभावकारी बनाने तथा इसके उद्देश्यों की प्राप्ति में आ रही व्यवहारिक एवं प्रक्रियात्मक कठिनाइयों को दूर करने हेतु इसमें निम्न संशोधन किया जाता है :–

2. **कंडिका 4.1 निम्न प्रकार प्रतिस्थापित होंगे** :– "झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार" (जियाडा) के अध्यक्ष, मंत्री, उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड सरकार होंगे। इसमें एक प्रबंध निदेशक का पद होगा, जो भा0प्र0से0 (विशेष सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव स्तर) के पदाधिकारी होंगे। प्रबंध निदेशक की नियुक्ति/पदस्थापन सरकार द्वारा की जाएगी।

3. **कडिका 4.2 इस प्रकार प्रतिस्थापित होंगे** :– "झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार" में कुल पांच निदेशकों (I, II, III, IV एवं V) का स्थायी निदेशक मण्डल होगा।

i) सचिव, उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग

ii) सचिव, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

iii) सचिव/अपर वित्त आयुक्त, योजना–सह–वित्त विभाग

iv) निदेशक, उद्योग

v) प्रबंध निदेशक, जियाडा–सह–सदस्य सचिव

इसके अतिरिक्त 3 (तीन) स्वतंत्र निदेशक होंगे, जिन्हें औद्योगिक संगठनों/औद्योगिक घरानों/उद्योगपतियों में से उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा नामित/मनोनित किया जायेगा।

ये तीनों सदस्य "झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार" की बैठक में परामर्शी के रूप में भाग लेंगे तथा मत विभाजन की स्थिति में इनके मत का कोई मान्य नहीं होगा।

इन्हें कोई वेतन भुगतान नहीं किया जायेगा, परन्तु इनके मानदेय एवं यात्रा भत्ता पर "झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार" (जियाडा) के निदेशक मडल द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

4. **कंडिका–4.2 (i to vii) निम्न प्रकार प्रतिस्थापित होंगे** :–

i. "झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार" में सचिव के पद पर नियुक्ति/पदस्थापन कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा किया जाएगा, जो अपर सचिव/संयुक्त सचिव (झा0प्र0से0) स्तर के पदाधिकारी होंगे।

ii. राँची, आदित्यपुर, बोकारो एवं संथाल परगना स्थित वर्तमान प्राधिकारों के कार्यालय "झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार" के क्षेत्रीय कार्यालयों में परिवर्तित हो जाएँगे एवं इनके प्रमुख क्षेत्रीय निदेशक होंगे। क्षेत्रीय निदेशक, अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव (भा0प्र0से0/झा0प्र0से0) स्तर के पदाधिकारी होंगे। इनकी नियुक्ति/पदस्थापन कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा किया जाएगा।

iii. सभी क्षेत्रीय निदेशक के अंतर्गत एक या एक से अधिक क्षेत्रीय उप निदेशक का पदस्थापन किया जा सकेगा, जो संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव (झा0प्र0से0) स्तर के पदाधिकारी होंगे। इनकी नियुक्ति/पदस्थापन कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा किया जाएगा।

iv. क्षेत्रीय निदेशक सीधे प्रबंध निदेशक, झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (Jharkhand Industrial Area Development Authority) को प्रतिवेदित करेंगे।

v. राज्य/कार्य हित में विभिन्न प्राधिकारों के वर्तमान कर्मचारी एवं कैडर का विलय एक एकीकृत कैडर में किया जाएगा।

5. **कंडिका–7 में निम्न दो कंडिका भी समाहित होगी** :–

7 (i) - प्रबंध निदेशक उन सभी दायित्वों का निर्वहन करेंगे, जो पूर्व में क्षेत्रीय प्राधिकार के प्रबंध निदेशक द्वारा किया जाता था।

7 (ii) -प्रबंध निदेशक, निदेशक मण्डल की स्वीकृति प्राप्त कर अपने दायित्वों को क्षेत्रीय निदेशक को प्रत्यायोजित कर सकेंगे।

6. संकल्प संख्या 1638 दिनांक 16.05.2016 की कंडिका–8 (i to iv) को निरस्त किया जाता है।

7. संकल्प संख्या 1638 दिनांक 16.05.2016 की अन्य कंडिकाएँ यथावत रहेगी।

8. यह संकल्प निर्गत की तिथि से लागू माना जायेगा।

आदेश :आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण के सूचनार्थ झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने की व्यवस्था की जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

11/8/17

सरकार के सचिव
उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक 3025 / राँची, दिनांक 16/08/2017
04 / उ0नि0 / जियाडा (संशोधन)–14 / 2017

प्रतिलिपिः अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, राँची को झारखण्ड गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि ई–गजट में यथाशीघ्र प्रकाशित करने की व्यवस्था की जाय।

11/8/17

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 3025 / राँची, दिनांक 16/08/2017
04 / उ0नि0 / जियाडा (संशोधन)–14 / 2017

प्रतिलिपिः–महामहिम राज्यपाल, झारखण्ड के प्रधान सचिव / महामहिम राज्यपाल के सलाहकार के आप्त सचिव / विकास आयुक्त, झारखण्ड / मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, वाणिज्यकर विभाग, झारखण्ड / सभी विभागीय प्रधान सचिव / सचिव / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त / प्रबंध निदेशक, झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार / मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, राँची, बोकारो, आदित्यपुर एवं दुमका / प्रबंध निदेशक, औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम, राँची / सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/8/17

सरकार के सचिव

आदेश :आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण के सूचनार्थ झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने की व्यवस्था की जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

11/8/17

सरकार के सचिव
उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक 3025 / राँची, दिनांक 16/08/2017
04 / उ0नि0 / जियाडा (संशोधन)–14 / 2017

प्रतिलिपिः अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, राँची को झारखण्ड गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि ई–गजट में यथाशीघ्र प्रकाशित करने की व्यवस्था की जाय।

11/8/17

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 3025 / राँची, दिनांक 16/08/2017
04 / उ0नि0 / जियाडा (संशोधन)–14 / 2017

प्रतिलिपिः–महामहिम राज्यपाल, झारखण्ड के प्रधान सचिव / महामहिम राज्यपाल के सलाहकार के आप्त सचिव / विकास आयुक्त, झारखण्ड / मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, वाणिज्यकर विभाग, झारखण्ड / सभी विभागीय प्रधान सचिव / सचिव / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त / प्रबंध निदेशक, झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार / मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, राँची, बोकारो, आदित्यपुर एवं दुमका / प्रबंध निदेशक, औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम, राँची / सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/8/17

सरकार के सचिव

Organizational Structure of

Jharkhand Industrial Area Development Authority